

28-10-2022

आवेदक द्वारा श्री नरेन्द्र वर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

कार्यालय पुलिस थाना पोहरी से पत्र प्राप्त।

पत्र में लेख किया गया है कि दिनांक 19.10.2022 को फरियादी घनश्याम खटीक पुत्र पन्नालाल खटीक उम्र 51 वर्ष निवासी कटरा मोहल्ला पोहरी की रिपोर्ट पर वाहन क्रमांक एम.पी. 33 एम.जेड.7026 द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया था, किंतु उक्त प्रकरण में वाहन की जप्ती होना शेष है।

चूंकि उक्त प्रकरण में वाहन की जप्ती किया शेष होने से उक्त वाहन को जप्ती से पूर्व सुपुर्दगी पर दिया जाना संभव नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन वाहन जप्त न होने से निरस्त किया जाता है।

पत्रावली अभियोग पत्र पेश होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

सही/—

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)